

संसदीय समाचार

भाग-2

सं.57943-57950]

सोमवार, 23 जुलाई, 2018

सं.57943

विधायी अनुभाग

ऑनलाइन नोटिस देने हेतु ई-नोटिस सुविधा

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जैसा कि आज सभा में घोषणा की गई है, सदस्यों के लाभ के लिए ई-नोटिस पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग करते हुए सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न संसदीय प्रणालियों के लिए नोटिस दे सकते हैं।

"सदस्य लॉगिन पोर्टल" के लिए सदस्यों को जारी अकाउंट विवरण "ई-नोटिस पोर्टल" के लिए भी कारगर होंगे। ई-नोटिस आवेदन को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता के नाम/पासवर्ड के साथ ओटीपी प्रमाणन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। संसद सदस्यों को उनके पंजीकृत मोबाइल नं. पर ओटीपी भेजा जाएगा।

प्रश्नों की सूचना सहित सभी प्रकार की सूचनाएं ऑनलाइन भेजने के लिए सदस्यगण "ई-नोटिस पोर्टल" का प्रयोग कर सकते हैं जिसका प्रयोग करना आसान है। तथापि, सूचना कार्यालय में वास्तविक रूप में नोटिस प्राप्त करने की मौजूदा परिपाटी जारी रहेगी। इस संबंध में संसद सदस्यों और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

"ई-नोटिस पोर्टल" के प्रयोग की प्रक्रिया

"ई-नोटिस पोर्टल" को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है :

1. राज्य सभा वेबसाइट पर जाकर **ई नोटिस** को क्लिक करें।

या

2. **मेम्बर्स लॉगिन** को क्लिक करने के बाद **ई-नोटिस** को क्लिक करें।

या

3. वेब ब्राउजर में <http://rsnotices.nic.in> टाइप करें।

सं.579544

सूचना कार्यालय

ई-सूचनाओं और भौतिक रूप में सूचनाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ई-सूचना सुविधा की शुरुआत से, सभी ई-सूचनाएं पहले सूचना कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी और उनकी डायरी करने के उपरांत उन्हें संबंधित अनुभाग/शाखा को भेजा जाएगा। तथापि, सूचनाओं को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा भी जारी रहेगी।

2. भौतिक रूप में सूचनाएं प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संसद भवन के मुख्य स्वागत कक्ष में राज्य सभा के स्वागत पटल पर एक पेटी रखी गई है ताकि सभी कार्य दिवसों के दौरान सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ प्रश्नों, प्रस्तावों, संकल्पों आदि की सूचनाएं जमा करा सकें। यह पेटी सभी कार्यदिवसों में दिन में दो बार अर्थात् मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे और मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे खोली जाएगी। उसमें मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे के बीच जमा की गई सूचनाओं को उसी दिन सूचना कार्यालय में मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे प्राप्त किया गया माना जाएगा और मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे के बाद जमा की गई सूचनाओं को सूचना कार्यालय में आगामी कार्यदिवस को मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे प्राप्त किया गया माना जाएगा। यदि कोई सदस्य सूचना प्राप्ति के समय के संबंध में अत्यंत सजग है तो वह अपने स्टाफ को सीधे सूचना कार्यालय भेज कर सूचना जमा करा सकता/सकती है और उसे स्वागत कार्यालय में रखी गई पेटी में सूचना जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

3. कार्यालय समय के पश्चात् सूचनाएं जमा करने हेतु संसद भवन में सूचना कार्यालय (कक्ष संख्या 26) के बाहर भी एक पेटी रखी गई है जिसे आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे खोला जाएगा। कार्यालय समय के पश्चात् और

अवकाश के दिनों में जमा की गई भौतिक और ई-सूचनाएं दोनों, आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे प्राप्त की गई मानी जाएंगी।

4. भौतिक और ई-सूचनाओं की अन्तर-प्राथमिकता के प्रयोजनार्थ, उन्हें एक साथ आमेलित किया जाएगा और भौतिक रूप में प्राप्ति या पोर्टल में जमा करने के समय के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, हांलाकि दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होने का समय अगले कार्य दिवस में मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे होगा, यदि उन्हें कार्यालय समय के बाद या आवकाश के दिन जमा किया जाता है, तो पोर्टल में जमा करने के समय के आधार पर ई-सूचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यालय समय के दौरान भी, उनकी अन्तर-प्राथमिकता का निर्णय सूचना कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या ई-सूचना पोर्टल में इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने के समय के अनुसार किया जाएगा।

5. सदस्य ई-सूचनाओं के साथ-साथ भौतिक रूप में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कृपया संशोधित व्यवस्था को नोट करें।

सं.57945

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर और साफ्टवेयर)

संसद सदस्यों को ई-सूचना सुविधा का उपयोग करने संबंधी प्रशिक्षण

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्य सभा सदस्यों द्वारा सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा एक सुरक्षित वेब पोर्टल <https://rsnotices.nic.in> (<https://mprs.nic.in> पर भी उपलब्ध है) के माध्यम से शुरू की गई है।

इस वेब सुविधा में नियमों के अधीन राज्यसभा में मुद्दे उठाने के लिए विभिन्न विधायी कार्यों जैसे प्रश्नों, शून्य काल, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा आदि के संबंध में सदस्यों द्वारा सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि 24 जुलाई, 2018 से 10 अगस्त, 2018 तक कक्ष संख्या 67, संसद भवन में इस सुविधा का उपयोग करने संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जहाँ एनआईसी के अधिकारी सदस्यों को यह सुविधा

प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण सभी कार्य दिवसों को **म.पू. 10.15** से **म.प. 5.30 बजे तक दिया जाएगा।**